

14005/2017

51



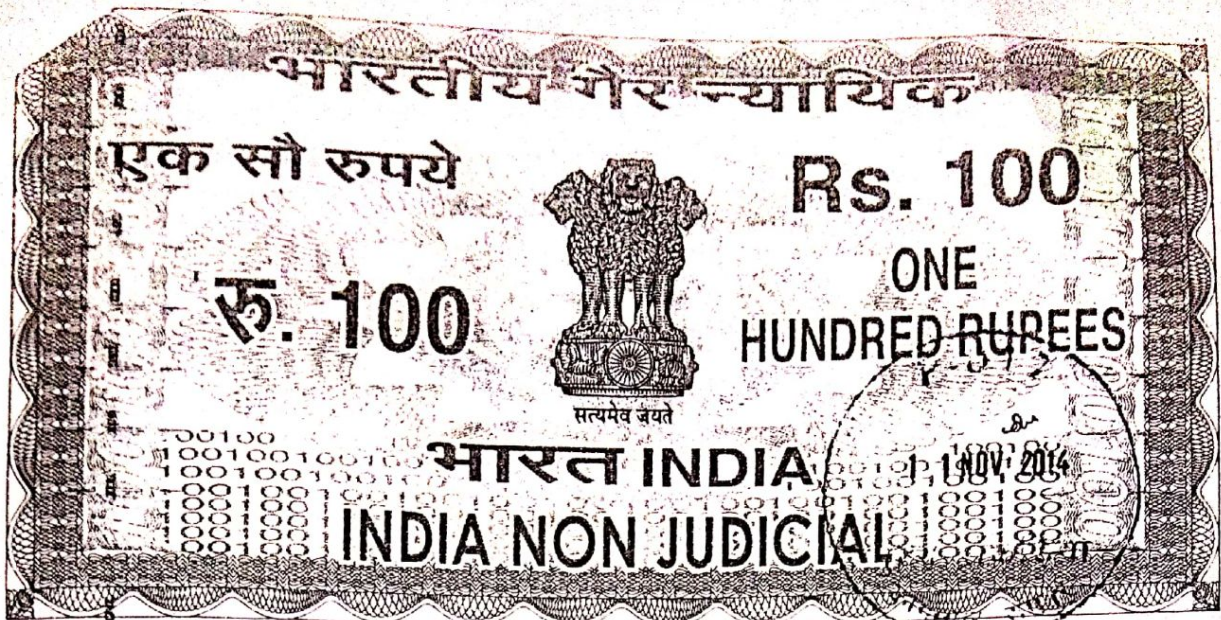
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH / पटया / किराये नम्बर 2098 11 माह के
 बिरा AL 192669
 र-रामपु 1500/-



मैंने प्रेमपाल पुत्र श्री गजोराम नि. राजबख्शपुरा
 तानसदा जिला रामपुर जरीक अबका व
 श्रीमती पल्लवी चली श्री सतवीर सिंह
 निवासी टेलीफोन बालाजी सिविल लाइन्स
 जिला रामपुर जरीक दोपह में लोकरकता
 प्रचल पक्ष निम्नांकित वकालत मुकदमा का माहिक
 व साविज है। जो हा प्रकाश व कोर्स
 मुक्त है जिस किराये पर देना सहज स्वीकार
 है। कृत में अपने लाभ होने का शुभ

प्रेमपाल
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 मुला प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 036403

कोच समझा मुमि निग्न नकिं को 500/- कोच
 सौ रुपय छति माह जिसका वार्षिक लिखत
 6000/- है. हजार रुपय होता है रोज में
 वहक द्वितीय पक्ष जीवती पल्लवी पत्नी श्री
 शतवी सिंह नि. टेलीफोन वाला तीसरे बिल -
 लखनऊ जिला 2000, वहक में प्रदक्षिणा
 नग्न पट्टा वीर वषे ग्यारह माह के लिए
 लिखत द्वितीय पक्ष को आवेका प्रदान
 करता है कि मुमि निग्न नकिं को इडिग्न
 हार्मल कारपोरेशन सामान्य रिटेल आउट लेट
 पेट्रोल पम्प लखनऊ पट्टा आवे लख लोभ
 छाती रहे पट्टा निम्न शर्तों पर पट्टा स्वीकार

हस्ताक्षर

पल्लवी

राजीव कुमार
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 रिटेल मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC-036404

धरती की महान् इकरा पट्टे दा से मत है उपरोक्त
 प्लिमा दा अग्रेजी माह की अधिकारी लगीए तक रसीद
 लोक अदा धरती रहेगा । यह प्लिमा उपरोक्त
 जमीन पर धरती शुरू होने से देय होगा महान् प्लिमा
 पत्र के संचालन हेतु जो भी आवश्यक लाइसेंस
 व परमिट प्राप्त करेंगी उसके नवीनीकरण को
 निष्पादित करते रहेंगे । उसके संदर्भ में जो भी
 शुल्क व टैक्स संचालन एवं वसूल एवं वितरण आदि
 में देय होगा उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पदा की होगी
 तथा उसके संदर्भ में जो स्थानीय पुलिस एवं
 न्याय पालिका पट्टे व निष्पाद व धानून होगी
 उनका पालन धरती होगा महान् जब भी आवश्यकता
 होगी उपरोक्त पट्टे रसीद जमीन के वाकलनधी
 रहेगी ली धरती

राजीव कुमार
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 मुख्य अधिकारी (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

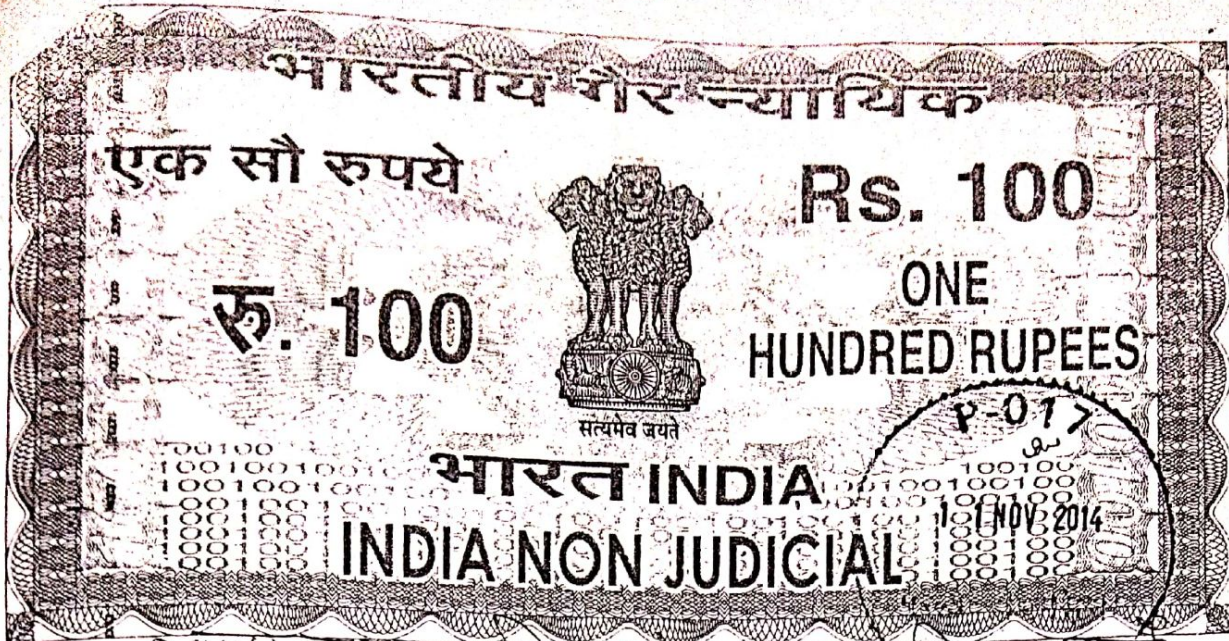


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समाप्त कर लिया जाता है। अधिक मात्र में जैटोला पम्प
 की संचालन के संबंध में जो भी निर्माण करना
 उनकी रिटेल आउट लेट की जा दी जाती है। इसके पत्र
 दा और विभिन्न छिमे जोगें। उन सब सामानों एवं
 सामानों का मालिक एवं कोषिज प्रदेदा होगा। उन सामानों
 से पट्टा कर्ता से कोई सरोका नहीं होगा बरहेगा
 पट्टा की ठगवट समाप्त होने पर यदि पट्टा आगे नहीं
 बढ़ाया तो पट्टेदा उन सामानों का उखाड़ का प्र
 दत्त का पट्टा शुद्ध भूमि को पूरा की जाते बरहेगा
 इसमें पट्टा कर्ता को कोई अधिकार नहीं होगा कि
 पट्टेदा की आजादी पर जैटोला पम्प के संचालन एवं
 भंडारण हेतु बैंक, पम्प आदि का स्थापना भूमि के सतह
 के नीचे स्थापित करने हेतु स्वतन्त्र है व बरहेगा
 इसमें पट्टे कर्ता को कोई हानि नहीं होगी पट्टा
 कर्ता द्वारा निम्न शर्तों वाला बरा बराना एवं
 नुकसान शुद्ध अर्द्ध लख सोय ।

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office



वसमस का पसना चि च रख स्व इच्छा से किया जाता है
 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

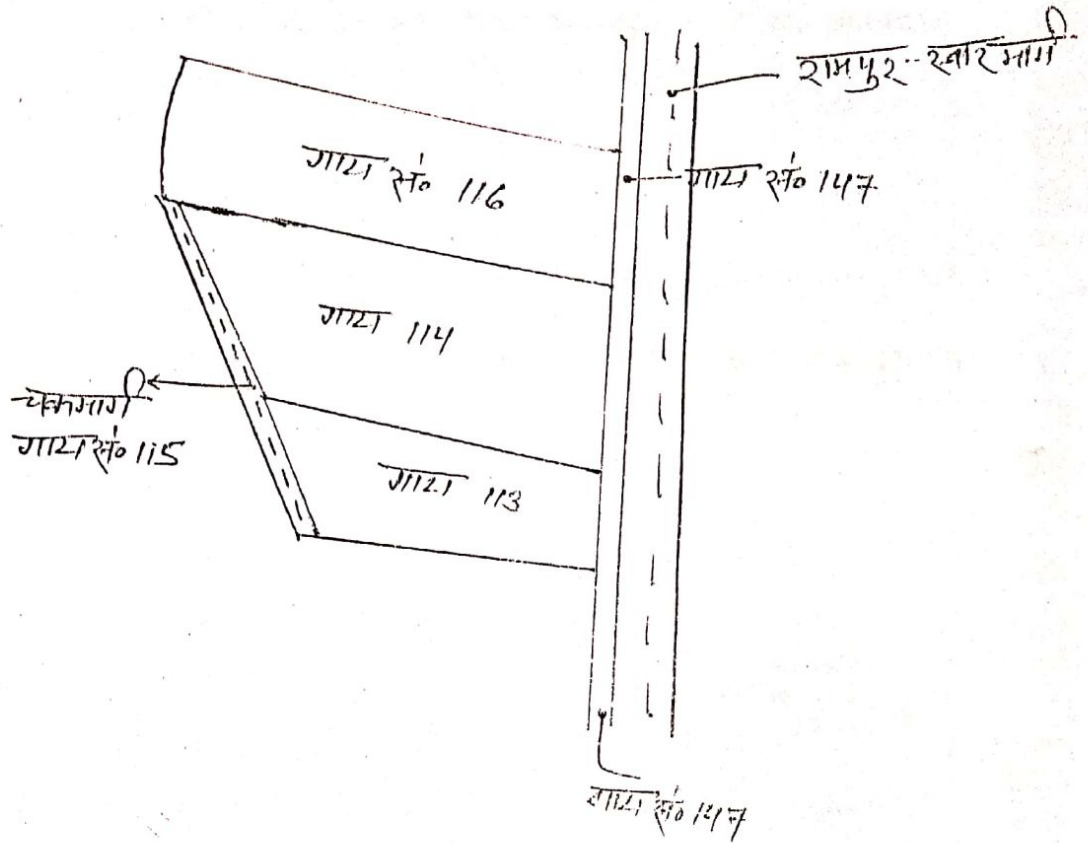
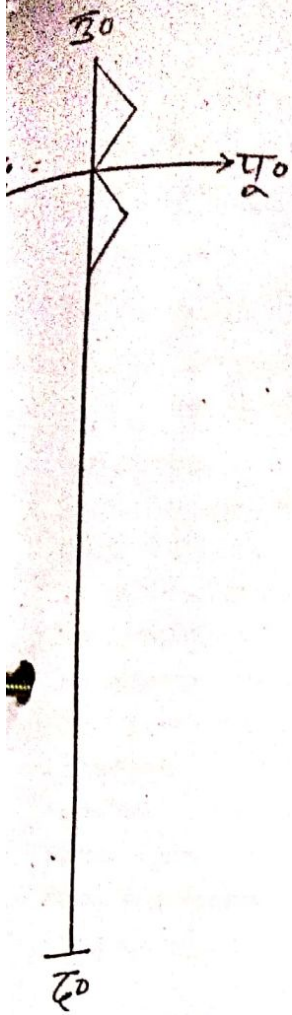
जिसका प्रावधान इसके बावजूद रख कायम है सोमवार को
 बिंदी बनाने के लिये रानी आदि पाएँ। व आज भी
 होगे। नदरि पट्टे कले निम्न चि वरन वनोदरी के
 पट्टे दारी के पूरि मालिक रहेगी नदरि उनर धूमि/
 भवन के सन्दर्भ में जो भी टैक्स आदि देय होगा
 उसे पट्टे कले पट्टे दा से वसूल करके अदा करेगा
 लेखि, जोस, घानी, बिजली जो पट्टे दा द्वारा उपयोग
 लिखा जायेगा उसके देय पट्टे दा ही होगा। नदरि
 पट्टे कले स्वयं का किसी जमाने के माध्यम से कोई
 व्याप पट्टे दारी के मुक्ति के अगल-वगल के नाम में
 नही करेगा। और कोई ऐसा कार्य नही करेगा
 जिससे पट्टे दा को किसी प्रकार के क्षति उठानी पड़े
 प्रहकि पट्टे दा को आपेक्षा प्राप्त है कि वह पट्टे दारी
 की आज्ञा में पट्टे दा के संचालन हेतु, जो भी गड्डा
 आदि खोदना पड़ेगा या पट्टे के खोपय समाप्त होने पर
 पट्टे दारी की आज्ञा में लगे सामान को गड्डा खोदना
 उखाड़ कर ले जाने में पट्टे कले किसी प्रकार के रुकावट
 या विरोध उत्पन्न नही करेगा। प्रहकि पट्टे दा को प्रह
 अधिकार होगा कि वह पट्टे दारी की आज्ञा खसरास
 114 में से ली गई 35 x 35 वर्ग मी० का पट्टे की जमीन

सुमपा

राजीव कुमार
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
 मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
 Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
 बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

बजरी नमूना, गांव 114 जमालपुर, तहसील, रामपुर



(लेफ्टीमैन शर्मा)

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक

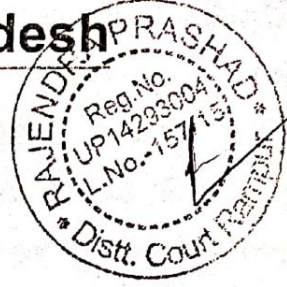
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh e-Stamp



Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

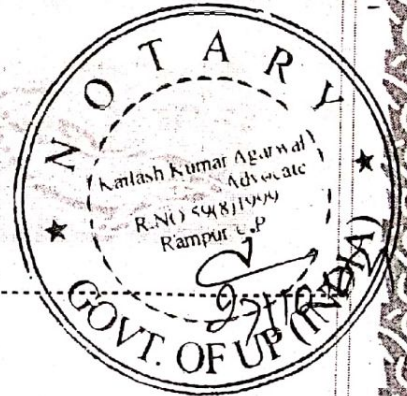
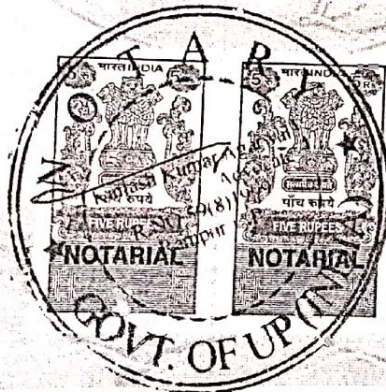
First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP15481993450788T
: 27-Oct-2021 12:32 PM
: NEWIMPACC (SV)/ up14293004/ RAMPUR SADAR/ UP-RMP
: SUBIN-UPUP1429300420512704784054T
: NARAYAN DEI WO PREM KISHOR URF PREMPAL AND OTHER
: Article 35 Lease
: Not Applicable
: NARAYAN DEI WO PREM KISHOR URF PREMPAL AND OTHER
: PALLAVI WO SATVEER SINGH
: NARAYAN DEI WO PREM KISHOR URF PREMPAL AND OTHER
: 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

पट्टा / किरायानामा

हमकि 1. नरायन देई पत्नी प्रेम किशोर उर्फ प्रेमपाल, 2. विनोद कुमार, 3. सतीश, 4. विक्की पुत्रगण प्रेम किशोर उर्फ प्रेमपाल समस्त निवासी ग्राम करनपुर, तहसील सदर, जिला रामपुर।

राजीव कुमार

.....प्रथम पक्षगण

एवं प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कुमार विभाव / KUMAR VIVASH

श्रीमती पल्लवी पत्नी श्री सतवीर सिंह निवासी टेलीफोन कारखाना, सिविल लाइन्स, रामपुर

हण्डियन ऑपल कारपोरेशन लिमिटेड (एन.डी.)

Indian Oil Corporation Ltd. (M.P.)

बरेली न्यायालय / Bareilly Divisional Office

Executant

Executant

Executant

Executant



Stamp

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shutterstock.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(2)

यह कि फरीक अव्वल खसरा नं०-114 रकवा 0.6160 हे० स्थित ग्राम करनपुर, तहसील सदर, जिला रामपुर के सहसंक्रमणीय भूमिधर काश्तकार एवं मालिक व काबिज है।

यह कि फरीक अव्वल ने फरीक दोयम को अपनी उपरोक्त आराजी में से 30x35 वर्गमीटर का पट्टा विलेख / किरायानामा 20 वर्ष 11 माह के लिए पेट्रोल पम्प लगाने के लिये 500/-रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया है जिसका वार्षिक किराया 6000/-रुपये होता है। पूर्व में फरीक अव्वल के पति व फरीक अव्वल सं०-2 ता 4 के पिता स्व प्रेम किशोर उर्फ प्रेमपाल के द्वारा फरीक दोयम के हक में किरायानामा / पट्टा विलेख वर्ष 2014 में फरीक दोयम के हक में लिखित तहरीर किया गया था जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

यह कि फरीक अव्वल नं०-1 के पति एवं फरीक अव्वल नं०-2 ता 4 के पिता द्वारा फरीक दोयम के हक में जो पट्टा विलेख/ किरायानामा तहरीर किया गया है वह हम फरीक अव्वल को मान्य है और उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा फरीक दोयम जब भी फरीक अव्वल से पट्टा विलेख/किरायानामा रजिस्टर्ड सत्यापित कराने के लिए कहा जायेगा तो हम फरीक अव्वल बिना किसी देरी के फरीक दोयम के हक में पेट्रोल पम्प लगाने के लिये अपनी भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा विलेख / किरायानामा करा देंगे।

यह कि इकरार पट्टेदार से यह है उपरोक्त किराया दर अंग्रेजी माह की अन्तिम तारीख तक रसीद लेकर अदा करता रहेगा। यह किराया उपरोक्त जमीन पर कार्य शुरू होने से देय होगा। यह कि पेट्रोल पम्प के संचालन हेतु जो भी आवश्यक लाइसेंस व परमिट प्राप्त करेगी उसके नवीनीकरण को निष्पादित करते रहेंगे। उसके संदर्भ में जो भी शुल्क या टैक्स संचालन एवं भण्डारण व विक्रय आदि में देय होगा उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा उसके संदर्भ में जो स्थानीय पुलिस एवं नगर पालिका परिषद के नियम व कानून होंगे उनका पालन करना होगा। यह कि जब भी आवश्यकता होगी उपरोक्त पट्टाशुदा जमीन की बावत नही रहेगी तो हम पट्टेदार से पट्टे को एक माह के नोटिस पर समाप्त कर सकता है। यह कि उक्त पेट्रोल पम्प की संचालन के संदर्भ में जो भी निर्माण, भवन, टंकी, रिटेल आउट लेट की दीवारी आदि पट्टेदार निर्मित किये जायेंगे। उन सब सामानों एवं निर्माणों का मालिक एवं काबिज पट्टेदार होगा। उक्त सामानों से पट्टाकर्ता से कोई सरोकार नही होगा व रहेगा। पट्टा की अवधि समाप्त होने पर यदि पट्टा आगे नही बढ़ाया तो पट्टेदार उन सामानों को उखाड़कर या हटवाकर पट्टाशुदा भूमि को पूर्व की भांति कर देगा उसमें पट्टाकर्ता को कोई अधिकार नही होगा। यह पट्टेदारों की आराजी पर पेट्रोल पम्प के संचालन एवं भण्डारण हेतु पम्प आदि की स्थापना भूमि के सतह के नीचे स्थापित करने हेतु स्वतन्त्र है व रहेगा इसमें पट्टेदार

Executant

Executant

Executant

Executant

Executant

कुमार विभाष / KUMAR VIVAS
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
दली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

(3)

को कोई आपत्ति नहीं होगी पट्टाकर्ता द्वारा निम्न शर्तों वाला करार अपना नफा एवं नुकसान खूब अच्छी तरह सोच व समझकर प्रसन्नचित एवं स्वइच्छा से किया जाता है जिसका पाबन्दी उसके वारिसान एवं कायम मुकामान प्रतिनिधि व नौकरो, एटारनी आदि पर है व आगे भी होंगे। यह कि पट्टाकर्ता निम्न विवरण व चौहद्दी को पट्टेदारी के पूर्ण मालिक रहेगी यह कि उक्त भूमि / भवन के सदर्थ में जो भी टैक्स आदि देय होगा उसे पट्टाकर्ता पट्टेदार से वसूल करके अर्ब-कर देगा, लेकिन गैस, पानी बिजली जो पट्टेदार द्वारा उपयोग किया जायेगा उसके देय पट्टेदार ही होगा, यह कि पट्टाकर्ता स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई पट्टेदारी के भूमि के अगल-बगल की भूमि में नहीं करायेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करायेगा जिससे पट्टेदार को किसी प्रकार की क्षति उठानी पड़े। यह कि पट्टेदार को अधिकार प्राप्त है कि वह पट्टेदारी की आराजी में पेट्रोल पम्प के संचालन हेतु जो भी गड्ढा आदि खोदना पड़ेगा या पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टेदारी की आराजी में लगे सामानों को गड्ढा खोदकर उखाड़कर ले जाने में पट्टाकर्ता किसी प्रकार की रूकावट या विरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

यह कि फरीक अव्वल व फरीक दोयम पट्टा विलेख / किरायानामा में लिखी गयी शर्तों के पूर्णतया पाबन्द रहेंगे।

लिहाजा यह पट्टा विलेख / किरायानामा आज दिनांक 27.10.2021 को वमुकाम जिला कचहरी रामपुर तहरीर किया गया ताकि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम जाये।

Executant के दोयम

श्रीमती पल्लवी
पल्लवी सिंह

Executant के अव्वल

1. नरायण देई
2. विनोद कुमार
3. सतीश
4. विककी

Executant

राजीव कुमार
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Identified by

ATTESTED

NOTARY
RAMPUR U.P.

27/10/21

एडवाकेट
9152109

कुमार विमल / KUMAR VIVASH
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
रेटेल मण्डल कार्यालय / Retail Divisional Office

गवाहान:-

WITNESS

WITNESS

Satya Singh, B-38, CRPF
Housing Society, Ganga Ram, Rampur
2. राजेश/स. गंगाशम मिश्र वॉन शाफ्ट वॉर्डन
सिविल लाइन्स-रामपुर (30-50)

104

FILED BY

DATE

27/10/21